न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र0क्र0—........./15—16

निग /3299/II/15

मोहनलाल गौतम पिता श्री नारायण प्रसाद गौतम आयु 50 वर्ष निवासी बराकला तहसील रघुराजनगर थाना सिविल लाइन जिला सतना म0प्र0 हाल मुकाम राजेन्द्र नगर सतना जिला सतना म0प्र0.......................निगराकार

श्री मुकेश शुक्ला एड
द्वारा आज दि. 20.10.15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1— रमइया हरिजन तनय् स्व0 कमोदा हरिजन आयु 85 वर्ष निवासी बराकला तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2— म0प्र0शासन द्वारा पटवारी हल्का बराकला तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्व आदेश अति0 तहसीलदार, प्रभारी वृत्त रैगाव वर्तमान कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्र0क्र0—2अ12/13—14 मे पारित आदेश दिनांक 29/01/14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:—

प्रकरण के तथ्य

1— यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बराकला तहसील रघुराजनगर जिला सतना की आराजी नं0—226 रकवा 1.79ए के भूमि स्वामी गैरनिगराकार क्र01 है तथा इसी आराजी से लगी निगराकार की आराजी नं0—275/2 मौजा बराकला तहसील रघुराजनगर जिला सतना मे स्थित है इस प्रकार निगराकार एवं गैरनिगराकार सरहद्दी कास्तकार है ।

——2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3299–दो/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–10–15	निगरानी प्रकरण कमांक 3299–दो/15 में मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । समक्ष में किये गये तर्क तथा नस्ती पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि प्रकरण में वर्ष 2008 में अनावेदक रमइया द्वारा सीमांकन हेतु किये गये आवेदन पर पहले 6.10.2008 एवं बाद में 13.10.2008 को पंचनामें बने किन्तु सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 13.10.2008 के पंचनामें में ही हुई होना लिखी है, एवं आवेदक मोहनलाल के इस दिनांक को पंचनामें पर हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसका कारण मोहनलाल द्वारा मौके की कार्यवाही इंतजार के बावजूद समय पर नहीं हुई होना बताया जा रहा है। इस सीमांकन के पचंनामें को सहायक अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा जिस प्रतिवेदन से अतिरिक्त तहसीलदार रेगांव को भेजा गया है, उसमें आवेदक मोहनलाल का 0.91 एकड का अवैध कब्जा होना लिखा है, किन्तु उसमें प्रेषण की दिनांक सहज अवलोकनीय नहीं है, केवल इसकी मार्जिन में अतिरिक्त तहसीलदार ने दिनांक 29.1.14 अपने हस्ताक्षर के नीचे मार्क की है। इसके 5 वर्ष बाद अनावेदक रमइया द्वारा दिनांक 24.12.13 को अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष इस प्रतिवेदन की पुष्टि हेतु आवेदन दिया गया है, जिसके बाद तहसीलदार ने 29.1.14 के आदेश से यह पुष्टि की है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में यह बिन्दु भी उठाया कि प्रकरण में रखी खसरे की नकल के अनुसार मोहनलाल की भूमि खसरा न0 275/2 का रकवा 0.249 हैक्टेयर है, जबकि उसका अनाधिकृत कब्जा उससे अधिक 0.91 एकड बताया जा रहा है , तथा उसकी भूमि 275/2 एवं अनावेदक की भूमि 226	

सीमावर्ती हैं, जो कि नस्ती में रखी नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि से देखा जा सकता है।

प्रकरण में यह बिन्दु विचारणीय है कि दिनांक 13.10.08 की मौके की कार्यवाही आवेदक मोहनलाल की उपस्थिति में हुई होना अभिलेख के अनुसार परिलक्षित नहीं है, तथा अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा उनके आदेश दिनांक 29.1.14 के पूर्व भी मोहनलाल को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । यह बिन्दु भी विचारणीय है कि 5 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि के बाद बगैर दिनांक के प्रतिवेदन को अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पुष्ट किया गया है, जिससे समूची कार्यवाही के प्रति अविश्वसनीयता बढती है।

उपरोक्त के प्रकाश में मैं अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त रेगांव का प्रकरण कमांक 2अ12–/13–14 में पारित आदेश दिनांक 29.1.14 तथा उससे संबंधित अभी तक मौके पर हुई होनी बताई गई समस्त कार्यवाही निरस्त करता हूँ । साथ ही, यह प्रकरण तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे सीमांकन हेतु विषयांतर्गत प्राप्त आवेदन के प्रकाश में नये सिरे से मौके की कार्यवाही करा कर नया आदेश पारित करें, तथा समस्त कार्यवाही के दौरान समस्त सरहदी कृषकों एवं हितवद्व पक्षकारों को विधिवत सूचना एवं सुनवाई का अवसर समुचित रूप से विधि एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप उपलब्ध होना सुनिश्चित करें ।

प्रकरण समाप्त किया जाता है । दा0द0 हो । पक्षकार सूचित हों ।

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य